GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

APPENDIX No. V

REF. ITEM No. 5

No. F.12(3)FD (Rule)/08 -II   Jaipur, dated: 6 .04.2013

NOTIFICATION

I. D. No. 766 /PS/CCE/09
Dated 30-9-13

Subject:- Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996 namely;

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2013.
2. They shall come into force with effect from 01.07.2013
3. In the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules -
   (i) The existing Rule 51 and 52 shall be deleted.
   (ii) The existing clause (a) and (b) of sub-rule (2) of Rule 54 shall be substituted by the following, namely:-

"(a) In the case of a Government servant retiring in accordance with the provisions of these rules after completing qualifying service of not less than twenty eight years, the amount of pension shall be calculated at fifty percent of the emoluments subject to maximum upto fifty percent of the highest pay in Government (the highest pay in government is Rs. 77000 since 01.01.2006) as defined under rule 45 of these rules which the government servant was receiving immediately before the date of retirement.

(b) In case of a Government servant retiring in accordance with the provisions of these rules before completing qualifying service of twenty eight years but after completing qualifying service of ten years, the amount of pension shall be proportionate to the amount of pension admissible under clause (a) and in no case the amount of pension shall be less than rupees three thousand twenty five per mensem".

By order of the Governor,

(Akhil Arora)
Finance Secretary (Budget)

कार्यालय निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 26(परिपत्र)स्था / निकाशि / 2013 / 1128   दिनांक 8 अक्टूम्बर, 2013

1 डा धीरेन्द्र देवर्षि (व्याख्याता) प्रभारी बेवसाइट को भेजकर लेख है कि उक्त को बेवसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।

2 समस्त प्रचार्य राजकीय महाविधालय राजथान

संयुक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1 ए, अम्बेडकर भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक: एफ 15 ( ) म.क./सान्याअवि/2013 / ... जयपुर दिनांक ...

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
....
2. समस्त जिलाकलेक्टर,
....

विषय -- दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अन्तर्गत आपके विभाग में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के विवाह पश्चात् दहेज संबंधी घोषणा-पत्र की सूचना बाबत।

महोदय,

कृपया इस संबंध में विभाग के क्रमांक एफ 15(3)/महिला कल्याण/दहेज/ सान्याअवि/12/51719-920 दिनांक 11.07.2012 के परिपत्र का अवलोकन फरमावें। जिसके अन्तर्गत राजस्थान दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के नियम-6, उप नियम-4(i) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के पश्चात् यह कथन करते हुए विभागाध्यक्ष को घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने कोई दहेज नही लिया है। घोषणा पत्नी, पिता और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित होगी। अतः इस संबंध में निवेदन है कि आपके विभाग के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने सरकारी सेवकों से यह घोषणा-पत्र प्राप्त कर लिये है व कितने अवशेष है कि सूचना शीघ्र भिजवाने की कृपा करें।

भवदीय

उप शासन सचिव

कार्यालय निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 26(परिपत्र)स्था/निकाशि/2013/1129 दिनांक 8 अक्टूम्बर, 2013

1 डा धीरेन्द्र देवर्षि (व्याख्याता) प्रभारी बेवसाइट को भेजकर लेख है कि उक्त को बेवसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
2 समस्त प्रचार्य राजकीय महाविधालय राजथान

संयुक्त निदेशक